कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति
डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद(छ.ग.)

क्रमांक/5868/स्वा.आ.अं.मा./संविदा भर्ती/जि.शि.अ./2021 बालोद, दिनांक 11/10/2021

–:: आदेश ::–

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश कमांक/एफ 23–08/2020/20–तीन दिनांक 30.06.2021 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 08.07.2021 द्वारा दिये गये पद के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19.07.2021 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 29.07.2021 के आधार पर अयोजित साक्षात्कार दिनांक 08.10.2021 में चयनित अभ्यर्थियों को स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौण्डी लोहारा में उल्लेखित पद पर संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी उल्लेखित विद्यालय में दिनांक 25.10.2021 सायं 05:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण कर सकते है निर्धारित तिथि के पश्चात आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण के समय मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम	प्रवर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पता
1	2	4	5	6	7	8
1	प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला	अनारक्षित	अभिषेक शुक्ला	श्री आर.के. शुक्ला	35400/–	रूम.नं. 05, वार्ड17, सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल के पीछे कादम्बरी नगर, दुर्ग (छ.ग.)
2	प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला	अनारक्षित	विभा चंद्राकर	श्री भूषण लाल चंद्राकर	38100/–	म.नं.228/के.ए. स्ट्रीट 2 साईड सी वार्ड 42 सुभाषनगर दुर्ग (छ.ग.)

शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
5. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
6. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

Scanned with CamScanner

भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे।

9. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।

10. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा।

11. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।

12. आवेदक को पदभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड जिला बालोद द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति डौण्डी लोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृ.क./5869/स्वा.आ.अं.मा./संविदा भर्ती/जि.शि.अ./2021 बालोद, दिनांक 11/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा छ.ग.शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. समस्त चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी...को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति डौण्डी लोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner